अनुसार पक्षकारों को
अंतिम तर्क हेतु अवसर प्रदान
किया जाए। अंतिम तर्क
की तारीख 31.10.2025
को नियत की।

राजेश कुमार गजरा
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
डीडवाना

31.10.2025

वकील गण श्री शमशाद फुड़फुड़िया तथा
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मो० इकबाल
अनुपस्थित है। मेरी ओर से अधिवक्ता श्री
अनवर शेखावत की मो० इकबाल पारख की
अधिवक्ता श्री मो० इकबाल पारख की
नामित करने की प्रार्थना की।
पक्षकारों को अंतिम तर्क
हेतु अवसर दिया।

राजेश कुमार गजरा
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
डीडवाना